

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

(समक्ष:-वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

सत्र प्र0क0 213/2011

संस्थिति दिनांक 19.08.2011

1. म0प्र0 राज्य शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियोजन

### ब-ना-म

- 1 भूरे सिंह पुत्र नारायणसिंह पवैया, उम्र 46 वर्ष।
- 2 राजू उर्फ राजेन्द्रसिंह पुत्र भगवानसिंह पवैया, उम्र 43 वर्ष। निवासीगण ग्राम पिपरौली थाना गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0।
- 3 रूपा उर्फ रूपसिंह पुत्र मानसिंह चौहान, निवासी ग्राम कुसमार, थाना देहात, जिला भिण्ड म0प्र0

.....फरार

.....अभियुक्तगण

म0प्र0 राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।  
आरोपीगण की ओर से श्री ऊदलसिंह गुर्जर एवं श्री आर.सी. यादव अधिवक्ता।

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री सुशील कुमार के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0क0 138/2008 से उद्भूत यह सत्र प्रकरण 213/2011

**नोट-** प्रकरण में सहआरोपी रूपा उर्फ रूपसिंह पूर्व से फरार है। अतः यह निर्णय आरोपीगण भूरेसिंह व राजू उर्फ राजेन्द्रसिंह के संबंध में किया जा रहा है।

// निर्णय //

(आज दिनांक 25-05-2017 को घोषित किया गया)

01. आरोपीगण के द्वारा दिनांक 13.03.2006 को शाम 6 बजे गोलम्बर तिराहा गोहद में फरियादी हेमू उर्फ हेमंत दुवे को माउजर बंदूक एवं कट्टे से फायर ऐसी परिस्थितियों में अथवा साशय जानबूझकर किया कि यदि उक्त कृत्य से उसकी मृत्यु हो जाती तो आरोपीगण हत्या के दोषी होते जो कि उक्त कृत्य आरोपीगण के द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में कारित किया एवं फरियादी को उक्त दिनांक समय व स्थान जो कि सार्वजनिक स्थान है पर अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित करने के संबंध में भा०द०वि० की धारा 307 विकल्प में धारा 307/34, 294 के अंतर्गत आरोप है।

02. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 13.03.2006 शाम लगभग 6 बजे हेमंत दुवे भिण्ड से लौटकर अपने घर की तरफ आ रहा था और जैसे ही वह डॉक बगला तिराहा (गोलम्बर तिराहा गोहद) गोहद पर आया उसकी मोटरसाइकिल के आगे भूरा पवैया, राजू पवैया एवं उनका रिस्तेदार जो ग्राम कुसमार का रहने वाला है तथा साथ में राजा भईया आए और अपनी मोटरसाइकिल आगे लडाकर माँ बहन की गालियाँ देने लगे। राजू पवैया पर माउजर बंदूक, भूरा पवैया 12 बोर बंदूक तथा कुसमार के लडके पर कट्टा था। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो उक्त तीनों लोगों ने जान से मारने के लिए बंदूक व कट्टा से गोली मारी जिससे वह बाल बाल बच गया। मौके पर राघवेन्द्र भार्गव, रामू भटेले तथा बीरेन्द्र शर्मा दौडकर उसके पास आ गए तथा तिराहा पर इकट्ठे लोग उसके पास आ गए तो उक्त तीनों लोग मोटरसाइकिल से बरथरा वाली रोड की तरफ भाग गए। मौके पर यदि उक्त लोग इकट्ठे न होते तो आरोपीगण उसे जान से खत्म कर देते। उक्त आशय की लेखीय रिपोर्ट फरियादी के द्वारा पुलिस थाना गोहद में दी गई, जिस पर से आरोपीगण के विरुद्ध अप०क्र० 44/06 धारा 307, 294, 34 भा.द.वि का पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया, दौराने विवेचना घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए, एक खोका 12 बोर के कारतूस का जप्त किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। आरोपीगण भूरेसिंह एवं राजू उर्फ राजेन्द्रसिंह को गिरफ्तार किया गया। आरोपी रूपा उर्फ रूपसिंह के न मिलने पर

उसके विरुद्ध धारा 299 जा0फौ0 की कार्यवाही करते हुए प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र अधीनस्थ जे.एम.एफ.सी. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो कि उपर्राण उपरांत माननीय सत्र न्यायालय द्वारा इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ है।

03. आरोपीगण पर प्रथम दृष्टया भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 विकल्प में धारा 307/34, 294 का अपराध पाये जाने से आरोप विरचित कर आरोपीगण को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार करते हुये विचारण चाहा। तत्पश्चात् अभियोजन की ओर से अपने मामले को प्रमाणित करने के लिये साक्षी रामू उर्फ राजकुमार (अ.सा. 1), मुन्नालाल (अ.सा.2), हेमंत दुवे (अ.सा.3), वीरेन्द्र शर्मा (अ.सा.4), श्रवण कुमार (अ.सा.5), नबाव शर्मा (अ.सा.6), राघवेन्द्र शर्मा (अ.सा.7), वंशीधर शर्मा (अ.सा.8) एवं गुरुदत्त शर्मा (अ.सा. 9) का परीक्षण कराया गया

04. आरोपीगण का द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण ने अपने-आप को निर्दोष होना व्यक्त करते हुए झूठा फँसाया जाना व्यक्त किया तथा बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

05. इस प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होता है:-

1. क्या आरोपीगण ने इस आशय से एवं इस जानकारी के साथ दिनांक 23.03.2006 को शाम के 6 बजे फरियादी हेमू उर्फ हेमंत दुवे पर बंदूक व कट्टों से फायर किया कि यदि उक्त फायर से आरोपीगण हेमू उर्फ हेमंत दुवे की मृत्यु कारित कर देते तो हत्या करने के दोषी होते?

अथवा

आरोपीगण ने उक्त कार्य सामान्य आशय के अग्रसरण में किया?

2. क्या आरोपीगण ने फरियादी हेमू उर्फ हेमंत को सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गालियों का प्रयोग कर सुनने वालों को क्षोभ कारित किया?
3. दण्डादेश यदि कोई हो तो?

### ॥ साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष ॥

06. साक्ष्य की सुगमता एवं पुनरावृत्ति से बचने हेतु सभी विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
07. प्रकरण में अभियोजन की ओर से आरोपीगण पर यह आरोप है कि घटना दिनांक 13.03.2006 को शाम के 6 बजे गोलम्बर तिराहा पर आए और फरियादी को सामने से रोककर उस पर बंदूक व कट्टा से फायर किया।
08. घटना के संबंध में यदि फरियादी हेमंत दुवे अ0सा0 3 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि घटना दिनांक को वह मोटरसाइकिल से भिण्ड से गोहद के लिए आ रहा था, जैसे ही वह गोलम्बर तिराहा गोहद के पास पहुँचा उसी समय आरोपी भूरा पवैया जो कि 12 बोर की रायफल लिए था एवं राजू पवैया जो कि माउजर लिए था तथा रूपा उर्फ रूपसिंह जो कि कट्टा लिए था तीनों अपनी मोटरसाइकिल लेकर आए और उसकी मोटरसाइकिल के सामने लगा दी और उसे माँ बहन की गालियाँ देने लगे, जब उसने गाली देने से मना किया तो भूरा पवैया, राजू पवैया और रूपा द्वारा बंदूक व कट्टा से उसे गोली मारी जिससे वह बाल बाल बच गया। उसी समय मौके पर राघवेन्द्र भार्गव, रामू भट्टेले, वीरेन्द्र शर्मा और राकेश चतुर्वेदी आ गए थे। उसी समय आरोपीगण अपनी मोटरसाइकिल से बंधा वरथरा की तरफ भाग गए थे।
09. फरियादी हेमंत दुवे अ0सा0 3 का अपने कथनों में यह भी कहना रहा है कि घटनास्थल पर उसे एक 12 बोर बंदूक के कारतूस का खोका मिला था जो उसने पुलिस को जप्त करा दिया था। तत्पश्चात् वह थाने गया था जहाँ पर उसने लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी तथा पुलिस ने घटनास्थल पर पहुँचकर नक्शामौका बनाया था।
10. बचाव पक्ष की ओर से यह आधार लिया गया है कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है और फरियादी द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध मिथ्या प्रकरण दर्ज कराया है, जिसमें केवल हितबद्ध साक्षियों

ने घटना समर्थन किया है और प्रकरण में घटना का स्वतंत्र साक्षियों द्वारा कोई समर्थन नहीं किया गया है।

11. प्रकरण में अभियोजन की ओर से रामू उर्फ राजकुमार अ0सा0 1 जिसे घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना बताया गया है का परीक्षण कराया है। रामू उर्फ राजकुमार अ0सा0 1 का अपने कथनों में कहना रहा है कि वह आवाज सुनकर जैसे ही गोलम्बर तिराहा पर पहुँचा उसे बताया था कि हेमू के ऊपर फायर कर के भाग गए हैं। साक्षी का यह भी कहना रहा है कि वहाँ लोग बता रहे थे कि घटनास्थल पर कारतूस के खोके पड़े हुए हैं। इस साक्षी का अपने कथनों में ऐसा कहना नहीं रहा है कि हेमू पर किसने फायर किया और खोके उसने स्वयं देखे थे। यह साक्षी केवल अपने मुख्य परीक्षण में सुनी सुनाई बात के आधार पर फरियादी हेमंत के ऊपर गाली चलने की घटना बताता है। इस साक्षी के द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के आधार पर उसे पक्ष विरोधी घोषित किया गया है और सूचक प्रश्नों के माध्यम से अभियोजन कथानक इस साक्षी के समक्ष रखा गया है, किन्तु उसके उपरांत भी साक्षी ने अभियोजन कथानक का लेश मात्र समर्थन नहीं किया है।

12. प्रकरण में अभियोजन की ओर से अन्य साक्षी मुन्नालाल अ0सा0 2, श्रवण कुमार अ0सा0 5 एवं नबाव शर्मा अ0सा0 6 का परीक्षण कराया गया है। उक्त सभी साक्षियों को घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना दर्शाया गया है, किन्तु उक्त साक्षियों ने भी अभियोजन कथानक का लेश मात्र समर्थन नहीं किया है और इन साक्षियों को अभियोजन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित किया गया है, किन्तु उसके उपरांत भी इन साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है।

13. प्रकरण में परीक्षित साक्षी वीरेन्द्र शर्मा अ0सा0 4 एवं राघवेन्द्र शर्मा अ0सा0 7 का परीक्षण कराया गया है एवं साक्षियों को घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना दर्शाया गया है। घटना के संबंध में यदि साक्षी वीरेन्द्र शर्मा अ0सा0 4 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि घटना के समय वह बाजार से सामान लेकर आ रहा था और जैसे ही गोलम्बर तिराहा पर आया वहाँ हेमू जमीन पर गिरा था, उस समय चार फायर हुए थे। फायर राजू पवैया, भूरा पवैया ने



बंदूकों से किए थे। फिर वह हेमू को उठाकर मोटरसाइकिल से थाने छोड़ आया था। इसी प्रकार यदि घटना के संबंध में साक्षी राघवेन्द्र शर्मा अ0सा0 7 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि वह गोहद चौराहा ऐजेन्सी से आकर गोलम्बर तिराहा पर खड़ा था, उसी समय हेमू उर्फ हेमंत दुवे अपनी मोटरसाइकिल से पिपरौली तिराहा तरफ से आया और जैसे ही गोलम्बर तिराहा पर आया और वहाँ रुका तो भूरा पवैया ने 315 बोर और राजू पवैया जो कि बंदूक लिए खड़ा था मोटरसाइकिल पर बैठकर आए और हेमू की मोटरसाइकिल के आगे खड़ा कर दिया। उनके साथ रूपा भी था और उन लोगों ने हेमू के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किया जिससे वह बच गया था और फायर करने के बाद आरोपीगण भाग गए।

14. बचाव पक्ष की ओर से यह आधार लिया गया है एवं इन तर्कों पर बल दिया है कि फरियादी और साक्षी वीरेन्द्र शर्मा अ0सा0 4 और राघवेन्द्र शर्मा अ0सा0 7 तीनों व्यक्तियों के द्वारा चार फायर किये जाने संबंधी कथन करते हैं, किन्तु आहत को एक भी गोली नहीं लगी है, न ही आसपास खड़े किसी व्यक्ति को गोली लगी है जो कि भीड़ भाड़ वाले चौराहा पर संभव नहीं है और पूरी घटना बनाई हुई है और ऐसी स्थिति में साक्षियों के कथनों में जो तथ्य आए हैं उनके आधार पर उक्त तीनों साक्षी अविश्वसनीय साक्षी की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

15. यदि साक्षी हेमंत दुवे अ0सा0 3 के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन किया जाए कि घटना किन परिस्थितियों में हुई तो इस साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि उसकी आरोपीगण से पहले से कोई रंजिश नहीं थी। ऐसी स्थिति में जहाँ कि आरोपीगण की फरियादी से पूर्व की कोई रंजिश न हो, घटना के पूर्व कुछ न हुआ हो, इस दशा में तीन-तीन व्यक्ति फरियादी को क्यों गोली मारना चाहेंगे इसका कोई स्पष्टीकरण रिकार्ड पर नहीं है, क्योंकि फरियादी का यह भी कहना रहा है कि उसकी जानकारी में झगड़े की कोई वजह नहीं थी।

16. मौके पर गोलियाँ किन परिस्थितियों में चलाई गईं। यदि इस संबंध में साक्षी हेमंत दुवे अ0सा0 3 के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी का कहना रहा है कि आरोपीगण ने

दस मीटर की दूरी से फायर किया था। इस साक्षी का यह भी कहना रहा है कि आरोपीगण की मोटरसाइकिल उसकी मोटरसाइकिल के पास ही खड़ी रही थी और तीनों आरोपीगण ने एक ही दूरी से खड़े खड़े फायर किया था। साथ ही इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने जब गोलियाँ चलाई थी तब उसके पीछे व बगल में भी आदमी खड़े हुए थे। यदि इस संबंध में साक्षी वीरेन्द्रसिंह अ०सा० 4 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो यह साक्षी अपने समक्ष मुख्य परीक्षण में फायर होने संबंधी कथन तो करता है, किन्तु प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार करता है कि वह नहीं बता सकता है कि आरोपीगण किस वाहन से आए थे और किस वाहन से गए थे, जबकि यह साक्षी अपने कथनों में राजू व भूरा पर बंदूक होने संबंधी कथन करता है, जबकि साक्षी हेमंत दुवे अ०सा० 3 एवं राघवेन्द्र शर्मा अ०सा० 7 इस संबंध में तीन भिन्न कथन करते हैं। यहाँ तक कि इस साक्षी का यह भी कहना रहा है कि आरोपी राजू व भूरा ने कितने फायर किये, फायर कहाँ लगे वह नहीं बता सकता है। साक्षी वीरेन्द्र शर्मा अ०सा० 4 के प्रतिपरीक्षण कंडिका 4 का अवलोकन किया जाए तो ऐसा दर्शित होता है कि इस साक्षी के द्वारा मौके पर घटना नहीं देखी गई है।

17. घटना के संबंध में यदि राघवेन्द्र शर्मा अ०सा० 7 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो यह साक्षी भी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होने का दावा करता है। यदि इस साक्षी की प्रतिपरीक्षण कंडिका 3 व 4 का अवलोकन किया जावे तो इस साक्षी ने अपने कथनों में दृढ़ता पूर्वक इस आशय के कथन किए हैं कि मौके पर केवल एक ही फायर हुआ था, जबकि साक्षी हेमंत दुवे अ०सा० 3 मौके पर चार फायर होने संबंधी कथन करता है, जबकि अन्य साक्षी वीरेन्द्र शर्मा अपने मुख्य परीक्षण में चार फायर होने संबंधी कथन अवश्य करता है, किन्तु प्रतिपरीक्षण में इस आशय के कथन करता है कि कितने फायर हुए और किसने किये उसे जानकारी नहीं है। यदि इस संबंध में साक्षी राघवेन्द्र शर्मा अ०सा० 7 के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी अपने कथनों में कहना रहा है कि मौके पर केवल एक ही गोली चली थी, बांकी गोलियाँ भी चली थी जिससे भगदड मच गई थी, किन्तु बांकी गोलियाँ किसने चलाई वह नहीं देख पाया था। यहाँ तक कि साक्षी का यह भी कहना रहा है कि कितने फायर हुए थे वह नहीं देख पाया था।

18. अतः मौके पर किसने कितने फायर किए, कितने फायर हुए इस संबंध में फरियादी हेमंत दुवे अ0सा0 3, वीरेन्द्र शर्मा अ0सा0 4, राघवेन्द्र शर्मा अ0सा0 5 के कथनों में गंभीर तात्विक व महत्वपूर्ण विरोधाभास है।

19. यहाँ महत्वपूर्ण यह भी है कि फरियादी हेमंत दुवे अ0सा0 3 मौके पर चार फायर होने संबंधी कथन करता है। एक भी फायर फरियादी हेमंत दुवे को नहीं लगे है। साक्षियों के कथनों में यह तथ्य आया है कि गोली चलने के दौरान फरियादी हेमंत दुवे के आसपास व पीछे अन्य लोग भी खड़े थे तथा गोली चलने से भगदड़ मच गई थी। ऐसी स्थिति में चार पांच फायर होने के उपरांत भी फरियादी को गोली न लगना गोलम्बर तिराहा गोहद एक व्यस्त तिराहा है जहाँ शाम के समय अत्यधिक भीड़ रहती है, अन्य किसी व्यक्ति को गोली अथवा छर्चा न लगना साक्षी हेमंत दुवे के चार पांच फायर होने के दावे को संदेहास्पद बनाता है, क्योंकि गोलियाँ न तो किसी व्यक्ति को लगी हैं और न ही किसी दुकान में लगी है और न ही प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य आया है कि गोलियाँ किस स्थान पर लगी, जबकि साक्षी हेमंत दुवे अ0सा0 3 इस आशय का कथन करता है कि आरोपीगण ने गोलियाँ खड़े होकर चलाई थी।

20. साक्षी राघवेन्द्र शर्मा अ0सा0 6 मौके पर गोली चलने से भगदड़ होने संबंधी कथन करता है, जबकि यदि हेमंत दुवे अ0सा0 3 के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी का कहना रहा है कि मौके पर केवल चार फायर हुए थे और प्रत्येक फायर में एक से दो मिनट का गैप था। गोलम्बर तिराहा गोहद पर यदि एक एक मिनट के गैप से चार फायर हों तो चार मिनट की घटना अत्यधिक लम्बी होती है और जहाँ आरोपीगण के पास यदि एक एक मिनट के गैप से फायर करने का अवसर उपलब्ध था उसके उपरांत भी फरियादी को एक भी गोली न लगना फरियादी के कथनों पर अविश्वास किये जाने का आधार उत्पन्न करता है।

21. प्रकरण में फरियादी हेमंत दुवे घटना दिनांक को मौके पर केवल एक 12 बोर की बंदूक के कारतूस का खोका मिलने संबंधी कथन करता है। घटना दिनांक 13.03.2006 की दर्शाई गई है,



जबकि यदि इस संबंध में प्रकरण का अवलोकन किया जाए तो 12 बोर की एक खोका की जप्ती दिनांक 24.03.2006 को होनी दर्शाई गई है, जबकि फरियादी घटना दिनांक को ही थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाई जाने संबंधी कथन करता है। दस दिन तक खोका फरियादी द्वारा क्यों जप्त नहीं कराया गया इसका कोई स्पष्टीकरण फरियादी के कथनों में नहीं आया है। प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट साक्षी बंशीधर शर्मा अ0सा0 8 के द्वारा घटना दिनांक को ही लेख की गई है तथा इस साक्षी द्वारा आंशिक विवेचना की गई है, किन्तु इस साक्षी का अपने कथनों में स्पष्ट कहना रहा है कि दिनांक 24.03.2006 को साक्षी हेमंत दुवे ने थाने पर एक 12 बोर का खोका पेश किया था जिसे उसने जप्त किया था। इस साक्षी ने इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि घटना दिनांक को रिपोर्ट लिखाते समय हेमंत दुवे ने 12 बोर का कोई खोका न तो प्रस्तुत किया था और न ही कोई जानकारी दी थी। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि घटनास्थल का नक्शा साक्षी बंशीधर शर्मा अ0सा0 8 के द्वारा घटना के दो दिन पश्चात् बनाया गया है। नक्शामौका बनाते समय खोका किस स्थान पर पड़ा था अथवा हेमंत दुवे के पास कोई खोका है ऐसी कोई जानकारी भी हेमंत दुवे ने नहीं दी थी, इस तथ्य की पुष्टि इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में की है। नक्शा बनाते समय किसी भी दुकान में अथवा दीवाल में गोली के निशान नहीं पाए थे, इस तथ्य की पुष्टि विवेचनाधिकारी ने अपने कथनों में की है।

22. प्रकरण में विवेचनाधिकारी द्वारा 12 बोर का एक खाली खोका जप्त किया गया है। उक्त कारतूस किस बंदूक से चला इस संबंध में कोई विवेचना विवेचना अधिकारी द्वारा नहीं की गई है। प्रकरण में आरोपीगण से कोई बंदूक या कट्टा जप्त नहीं किया गया है। जप्तशुदा कारतूस का खोका एफ.एस.एल जॉच हेतु नहीं भेजा गया कि वास्तव में खाली कारतूस का खोका कितने समय प्रयुक्त किया गया था एवं किस बंदूक से चला था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकरण में संबंधित विवेचना अधिकारी ने गोली चलने के संबंध में सत्यता जानने का प्रयास नहीं किया है, क्योंकि प्रकरण में दस दिन के बिलम्ब से फरियादी द्वारा खाली खोका जप्त कराया गया, मौके पर आहत को कोई गनशॉट की चोट नहीं आई है और न ही किसी अन्य व्यक्ति को कोई चोट आई है। मौके पर किसी दीवाल या दुकान पर गोली लगने के निशान नहीं पाए गए हैं। ऐसी स्थिति में फरियादी जिस बंदूक से उसके ऊपर फायर

किये जाने संबंधी कथन करता है, विवेचना अधिकारी ने आरोपीगण से इस संबंध में कोई मेमोरेण्डम या जानकारी एकत्र की हो या बंदूक के संबंध में कोई अनुसंधान किया हो ऐसा विवेचना अधिकारी बंशीधर शर्मा अ0सा0 8 एवं गुरुदत्त शर्मा अ0सा0 9 का कहना नहीं रहा है।

23. यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि तत्कालीन थाना प्रभारी गुरुदत्त शर्मा अ0सा0 9 जिसके द्वारा प्रकरण की आंशिक विवेचना की गई है, इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसे घटना दिनांक को कस्बे में किसी प्रकार की कोई घटना घटित होने की सूचना नहीं मिली थी। फरियादी एक एक, दो दो मिनट के अंतराल से चार फायर होने संबंधी कथन गोहद गोलम्बर तिराहे पर होने के संबंध में करता है जो कि वस्ती का मुख्य स्थान है, उस घटना की सूचना थाना प्रभारी को न होना भी फरियादी के कथनों में संदेह उत्पन्न करता है।

24. बचाव पक्ष की ओर से यह आधार लिया गया है कि साक्षी वीरेन्द्र शर्मा अ0सा0 4, राघवेन्द्र शर्मा अ0सा0 7 फरियादी के रिस्तेदार होकर परिचित है और थाना प्रभारी से मिलकर यह असत्य प्रकरण दर्ज कराया है। यदि इस संबंध में साक्षी वीरेन्द्र शर्मा अ0सा0 4 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसकी हेमू दुवे के गांव में रिस्तेदारी है। यदि इस संबंध में राघवेन्द्र अ0सा0 7 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि हेमंत दुवे उसका मित्र है। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष की ओर से लिया गया आधार निराधार नहीं माना जा सकता है, क्योंकि मौके पर फरियादी द्वारा उपस्थित दर्शाए गए अन्य साक्षी रामू उर्फ रामकुमार अ0सा0 1, मुन्नालाल अ0सा0 2, श्रवण कुमार अ0सा0 5 एवं नबाव शर्मा अ0सा0 6 जो कि घटना के चक्षुदर्शी साक्षी होना दर्शाए गए हैं, जिन्होंने घटना का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है।

25. साक्षी बंशीधर शर्मा अ0सा0 8 के द्वारा प्रकरण को बगैर तस्दीक किए भा.द.वि की धारा 307 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। इस तथ्य को बचाव पक्ष के द्वारा चुनौती दी गई है। यदि इस संबंध में साक्षी बंशीधर शर्मा अ0सा0 8 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण कंडिका 5 में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि टी0आई0 साहब ने उसे सख्त निर्देश दिए थे कि

तस्दीक कर धारा 307 भा.द.वि का प्रकरण दर्ज करे। इस तथ्य को साक्षी गुरुदत्त शर्मा अ0सा0 9 ने स्वीकार भी किया है और उक्त आशय की टीप प्र.पी. 3 के आवेदनपत्र पर दर्ज भी है, किन्तु घटना दिनांक को ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के पूर्व बंशीधर शर्मा अ0सा0 8 के द्वारा किन तथ्यों से घटना की दस्ती की गई ऐसा साक्षी बंशीधर शर्मा अ0सा0 8 का कहना नहीं रहा है, क्योंकि प्रकरण में घटना दिनांक को न तो नक्शामौका तैयार किया है, यहाँ तक कि फरियादी के कथन व अन्य चक्षुदर्शी साक्षियों के कथन दिनांक 15.03.2006 को लेख किए गए हैं और न ही खोका जप्त किया गया है। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष की ओर से लिए गया तर्क अमान्य नहीं किया जा सकता है।

26. साक्षियों की साक्ष्य का अधिमूल्यांकन किया जाते समय साक्षियों की विश्वसनीयता के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत विजय उर्फ चीनी वि० मध्यप्रदेश राज्य-आई.एल.आर-2010-एम.पी.-2257—सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पैरा क्रमांक-22 में अपने पूर्व निर्णय उत्तरप्रदेश राज्य वि० एम.के.एनथनी-ए.आई.आर-1985-एस.सी.-48 में दिया गया निम्न सम्प्रेक्षण अवलोकनीय है —

“While appreciating the evidence of a witness, the approach must be whether the evidence of the witness read as a whole appears to have a ring of truth. Once that impression is formed, it is undoubtedly necessary for the court to scrutinise the evidence more particularly keeping in view the deficiencies, draw-backs and infirmities pointed out in the evidence as a whole and evaluate them to find out whether it is against the general tenor of the evidence given by the witness and whether the earlier evaluation of the evidence is shaken as to render it unworthy of belief. Minor discrepancies on trivial matters not touching the core of the case, hyper-technical approach by taking sentences torn out of context here or there from the evi-

dence, attaching importance to some technical error committed by the investigating officer not going to the root of the matter would not ordinarily permit rejection of the evidence as a whole. If the court before whom the witness gives evidence had the opportunity to form the opinion about the general tenor of evidence given by witness, the appellate court which had not this benefit will have to attach due weight to the appreciation of evidence by the trial court and unless there are reasons weighty and formidable it would not be proper to reject the evidence on the ground of minor variations or infirmities in the matter of details. Even honest and truthful witnesses may differ in some details unrelated to the main incident because power of observation, retention and reproduction differ with individuals. Cross examination is an unequal duel between a rustic and refined lawyer.”

27. साक्षियों के मूल्यांकन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत राज्य वि० सर्वानंद एवं अन्य-ए.आई.आर-2009-एस.सी.-152 में दिया गया निम्न सम्प्रेक्षण अवलोकनीय

है —

while appreciating the evidence of a witness, minor discrepancies on trivial matter without affecting the core of the prosecution case, ought not to prompt the court to reject evidence in its entirety. Further, on the general tenor of the evidence given by the witness, the trial court upon appreciation of evidence forms an opinion about the credibility thereof, in the normal circumstances the appellate court would not be justified to review it once again without justifiable reasons. It is the totality of the situation, which has to be taken note of Difference in some minor



detail, which does not otherwise affect the core of the prosecution case, even if present, that itself would not prompt the court to reject the evidence on minor variations and discrepancies.”

28. दांडिक विधि शास्त्र का सुस्थापित सिद्धांत है कि साक्ष्य की गुणवत्ता तात्विक होती है न कि संख्या। यह सही है कि प्रकरण में तीन चक्षुदर्शी साक्षियों ने घटना का समर्थन नहीं किया है और जो दो साक्षी घटना का समर्थन करते हैं उन साक्षियों के कथनों में गंभीर व तात्विक विरोधाभास है और परस्पर एक दूसरे के विरोधाभासी कथन करते हैं।

29. प्रकरण में मौके के तीन साक्षियों ने घटना का समर्थन नहीं किया है। एक मात्र साक्षी की परिसाक्ष्य पर भी दोषसिद्धि कायम की जा सकती है यदि वह सम्पूर्णता विश्वसनीय हो। विधिक रूप से एक मात्र परिसाक्ष्य पर दोषसिद्धि करने में कोई विधिक अड़चन नहीं है किन्तु जहां पर उपलब्ध साक्षियों की परिसाक्ष्य की विश्वसनीयता पर संदेह हो वहां पर न्यायालय उसकी सम्पुष्टि पर बल देता है, वास्तव में साक्ष्य की संख्या, उसकी मात्र नहीं बल्कि विधिक गुणवत्ता तात्विक होती है। चिर सम्मानित सिद्धांत यह है कि साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए न कि उसकी गणना की जानी चाहिए, उसका परीक्षण यही है कि क्या साक्ष्य में सत्यता का अंश है वह अकाट्य, विश्वसनीय और विश्वास योग्य है अथवा नहीं।

30. साक्षी की विश्वसनीयता और गुणवत्ता के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत विपिन कुमार मंडल वि० पश्चिम बंगाल राज्य 2011(1) सी.सी.एस.सी. 320(एस.सी.) के पैरा-26 में दिया गया निम्न सम्प्रेक्षण अवलोकनीय है :-

In *Namdeo v. State of Maharashtra* (2007) 14 SCC 150 : 2007 (2) CCSC 634 (SC), this Court re-iterated the similiae view observing that it is the quality and not the quantity which is necessary for proving or disproving a fact. The legal system has laid emphasis on value, weight and



quality of evidence rather than on quantity, multiplicity or plurality of witnesses. It is there fore, open to a competent Court to fully and completely rely on a solitary witness and record conviction. Conversely, it may acquit the accused in spite of testimony of several witnesses if it is not satisfied about the quality of evidence.

31. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो सबूत का स्थान नहीं ले सकता, दौडिक विधि शास्त्र का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अपराध "संदेह से प्रमाणित किया जाना चाहिए" अपराध जितना गंभीर होता है, साक्ष्य की प्रमाणितता का स्तर उतना ही गुरुतर होता है।
32. प्रकरण में फरियादी हेमंत दुवे अ0सा0 3 की साक्ष्य गंभीर संदेह के घेरे में है तथा तात्विक तथ्यों पर गंभीर विरोधाभास एवं लोप है। यहाँ तक कि साक्षी वीरेन्द्र शर्मा अ0सा0 4 एवं राघवेन्द्र शर्मा अ0सा0 7 के कथनों में आपस में तात्विक विरोधाभास है। प्रकरण में गोली चलाई गई इस आशय की विश्वसनीय साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं है। गोली किसी स्थान पर लगी नहीं पाई गई है। प्रकरण में आरोपीगण से अग्नेय शस्त्र जप्त नहीं किए गए हैं। जप्तशुदा कारतूस का खोका विलम्ब से क्यों प्रस्तुत किया गया इसका कोई कारण रिकार्ड पर नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में साक्षी हेमंत दुवे अ0सा0 3, वीरेन्द्र शर्मा अ0सा0 4 एवं राघवेन्द्र शर्मा अ0सा0 7 के घटना घटित होने के संबंध में किए गए कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं।
33. अतः प्रकरण में अभियोजन आरोपीगण के विरुद्ध मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है यह नहीं कहा जा सकता है।
34. परिणामतः आरोपीगण भूरे सिंह एवं राजू सर्फ राजेन्द्रसिंह को आरोपित धारा 307/34, 294 भा.द.वि के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
35. आरोपीगण जमानत पर हैं, उनके जमानत मुचलके एवं बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं।
36. आरोपीगण का धारा 428 द.प्र.सं के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र प्रकरण के साथ तैयार कर संलग्न किया जावे।

37. निर्णय की एक प्रति अभियुक्तगण को निःशुल्क प्रदान की जावे एवं एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, भिण्ड को भेजी जावे।

38. प्रकरण में सहआरोपी रूपा उर्फ रूपसिंह फरार है। अतः प्रकरण में सुरक्षित रखे जाने की टीप अंकित की जावे।

39. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति का निराकरण फरार आरोपी के विचारण के समय किया जाएगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद  
जिला भिण्ड (म0प्र0)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद  
जिला भिण्ड (म0प्र0)